


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(07)शिक्षा-2/2021 दिनांक: 18.10.2021 की पालना में श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, महिला विशेष शिक्षक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी, कोटा की नारी निकेतन, कोटा में विशेष शिक्षक के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, महिला विशेष शिक्षक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।


(काना राम)


आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2019/वो-2/दिनांक: 10 NOV 2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है - 143

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी, कोटा।
7. श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, महिला विशेष शिक्षक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर